राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ.2(ग)एसीपी/1979—III/अलेसे—I/ 11684-85 दिनांक :—04/03/2016

आदेश संख्या 201/2015—16

वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या प.14(88) वित्त/नियम/2008—I दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 8(III) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् संतान की संख्या 2 से अधिक होने पर एसीपी देय नहीं होने के कारण श्री धर्मी चन्द अरोड़ा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I को विभागीय आदेश संख्या 231/2012—13 दिनांक 06.12.2012 द्वारा दिनांक 19.03.2012 से स्वीकृत तृतीय एसीपी विभागीय आदेश संख्या 411/2013—14 दिनांक 04.03.2014 से प्रत्याहारित की गई थी।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)2008/ दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट—I/2008 दिनांक 06.10.2008 तथा वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 14(88)एफडी/रूल्स/2008—I दिनांक 06.10.2015 के द्वारा दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान पैदा होने पर एसीपी की देयता के प्रावधान लागू होने के कारण श्री धर्मी चन्द अरोड़ा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I को लेखाकार पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) दिनांक 06.10.2015 से पे—बेण्ड 3 (15600—39100), ग्रेड पे 6000/— में स्वीकृत की जाती है।

श्री धर्मी चन्द अरोड़ा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I को वित्त विभाग के आदेश ज्ञापन संख्या प.14(88)वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण—पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

श्री धर्मी चन्द अरोड़ा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित अधिकारी संशोधित वेतनमान-2008 के अन्तर्गत ग्रेड पे 5400/— में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा पूर्व में इन्हें तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गई है तथा ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरूद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं गत 7 वर्षों में नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I की सेवापुस्तिका में की जावें।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :— एफ.2(ग)एसीपी/1979—III/अलेसे—I/11684-85 दिनांक :— 04/03/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर।
2. श्री धर्मी चन्द अरोड़ा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I कार्यालय आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—I)